

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : 199 / W-30 / 31

दिनांक : 15/02/2025

मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा दिनांक 30.01.2025 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त:-

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 30.01.2025 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री मनोज कुमार मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. श्री जितेन्द्र कुमार गोंड, जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
4. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. श्री अवधेश कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री अमित वर्मा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
8. श्री सुमित भटनागर, सी०बी० एण्ड टी०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
9. श्रीमती शैलेन्द्री तिवारी, आई०एस०ए० कॉर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
10. श्री पवन कुशवाहा, एम०आई०एस०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
11. श्री कुलदीप मनी त्रिपाठी, फाइनैन्स, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
12. श्री राजेश कुमार चौहान, ए०जी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद।
13. श्री मन्नीर ठाकरे, डी०टी०एल०, मै० सेन्सिस टेक लि०, लखनऊ।
14. श्री देशमुख संकेत राजे, सेपटी इंजीनियर, मै० सेन्सिस टेक लि०, लखनऊ।
15. श्री मोहन रेड्डी, डी०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
16. प्रतिनिधि आई०एस०ए०, नव दुर्गा सेवा समिति, लखनऊ।
17. प्रतिनिधि आई०एस०ए०, हिन्दु मुस्लिम एवं एकता समिति, लखनऊ।
18. प्रतिनिधि आई०एस०ए०, एन०आई०डी०एस० सत्या, लखनऊ।
19. प्रतिनिधि आई०एस०ए०, एस०पी० ग्राम विकास एवं ग्रामोद्योग संस्थान, लखनऊ।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है -

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ हेतु नामित फर्म मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना से असंतुष्ट 669 नग राजस्व ग्रामों के सतृप्तिकरण हेतु कुल 376 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 01 नग पेयजल योजना पर भूमि विवाद एवं 8 नग पेयजल योजनाएं जिनमें 02 ग्राम पंचायत सम्मिलित कर योजनाएं बनायी गयी है, जिस ग्राम पंचायत में शिरोपरि जलाशय नहीं बनाया गया है, उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिया जा रहा है, जिस कारण पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र ही भूमि विवाद का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर प्रधान द्वारा कार्य करने नहीं दिया जा रहा है, उनको लिखित रूप से पत्र जारी करते हुए अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

- समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि 442 नग नलकूप के सापेक्ष 439 नग कार्य पूर्ण, 442 नग पम्प गृह के सापेक्ष 434 नग कार्य पूर्ण, 381 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 153 नग कार्य पूर्ण, वितरण प्रणाली 4940 कि०मी० के सापेक्ष 4831 कि०मी० कार्य पूर्ण, 222975 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 204396 नग कार्य पूर्ण, 669 राजस्व ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों के सापेक्ष 553 राजस्व ग्राम में कार्य पूर्ण एवं 669 नग राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण के सापेक्ष 162 नग राजस्व ग्राम ही सत्यापित हो सके हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों में 400 श्रमिकों के सापेक्ष 300 श्रमिक एवं शिरोपरि जलाशय के कार्यों में 950 श्रमिकों के सापेक्ष मात्र 445 श्रमिक फर्म द्वारा लगाये गये हैं। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि सड़क पुनर्स्थापना एवं शिरोपरि जलाशय के कार्यों में 03 दिवस के अन्दर शतप्रतिशत अवशेष श्रमिकों में वृद्धि कर ली जाए।

उपरोक्तानुसार यह प्रतीत होता है कि शिरोपरि जलाशय, सड़क पुनर्स्थापना एवं हर घर जल प्रमाणीकरण में कार्यदायी संस्था द्वारा विशेष रूचि नहीं ली जा रही है। ऐसी योजनाएँ जिनपर कार्य प्रारम्भ हुए 02 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, उन योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय के कार्य न पूर्ण होना, कार्य स्थल पर सामाग्री/मैन पावर की कमी को दर्शाता है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए पेयजल योजना के समस्त अवशेष कार्यों में समानान्तर अतिरिक्त टीम लगाते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्यों को अविलम्ब पूर्ण करायें।

- समीक्षा बैठक में टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 609 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है, परन्तु 150 नग राजस्व ग्रामों में लीकेज, गृह जल संयोजन, वितरण प्रणाली एवं ज्वाइंटिंग के कार्यों के कारण नियमित जलापूर्ति प्रभावित हो रही है, इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजनाओं में नियमित जलापूर्ति में आ रही बाधा को डेडिकेटेड टीम लगाकर तत्काल समाधान करा लिए जाए, जिससे कि निरन्तर जलापूर्ति होती रहे। इसके पूर्व में ली गयी बैठक में 380 नग राजस्व ग्रामों में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही थी, वर्तमान में मात्र 370 नग राजस्व ग्रामों में ही क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है। इस प्रकार 01 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी फर्म द्वारा शतप्रतिशत राजस्व ग्रामों में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति नहीं किया जा रहा है, जो खेद जनक है, दिनांक 28.02.2025 तक समस्त योजनाओं पर क्लोरीन प्लान्ट स्थापित करते हुए शतप्रतिशत क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- समीक्षा बैठक में पाया गया कि 381 नग प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक 153 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य किया जा चुका है, जिसकी प्रगति काफी कम है। शिरोपरि जलाशय के कार्यों को हर हाल में 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण कर लिए जाए, अवशेष शिरोपरि जलाशय के समस्त कार्य पूर्ण हेतु प्रति सप्ताह 20 नग शिरोपरि जलाशय को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- समीक्षा बैठक में टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों की गुणवत्ता/प्रगति से सम्बन्धित 3516 नग एन०सी० फर्म को उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु वर्तमान तक 3058 नग एन०सी० (86.97 प्रतिशत) ही क्लोज की गयी है, वर्तमान तक 458 नग एन०सी० अवशेष है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि टी०पी०आई० से प्राप्त एन०सी० की समीक्षा कर फर्म से अवशेष एन०सी० को क्लोज कराना सुनिश्चित करें।
- बैठक में टी०पी०आई० के सेफ्टी इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों में सुरक्षा मानक के दृष्टिगत सेफ्टी इंजीनियर की जो सूची उपलब्ध करायी गयी है, सेफ्टी इंजीनियर न होकर सुपरवाइजर एवं सिविल इंजीनियर की सूची दी गयी है, जिस कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि आगामी बैठक तक अपने सेफ्टी इंजीनियर की सूची टी०पी०आई० को उपलब्ध कराये, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सभी कार्य सुरक्षा मानक को ध्यान में रखते हुए कराये जाए, किसी भी दशा में सुरक्षा मानक की अनदेखी न की जाए। अन्यथा की दशा में फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

- समीक्षा बैठक में सड़क पुनर्स्थापना की समीक्षा के दौरान यह गया गया कि गिराव प्रणाली विधायक जने के दौरान कुल 2334 कि०मी० सड़क काटी गयी थी जिसके साथैस वर्तमान तक 2281 कि०मी० सड़क पुनर्स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में 53 कि०मी० सड़क पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष है। अधिशायी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 50 नग टोलवर्क यानों में बरसात के कारण सड़क बैठ गयी है। सड़क पुनर्स्थापना की संभावना विभिन्न स्तरों से भारी मात्रा में प्राप्त हो रही है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि टीएचडीसी एवं श्रीमंथ की संख्या में वृद्धि लाते हुए उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए 07 दिवस के अन्दर सड़क पुनर्स्थापना के समस्त कार्य पूर्ण कर लिए जायें। उनमें के अधिकांश कार्यवाही संलग्न भी एनसीसीसीसी, हैदराबाद के समस्त ब्लॉक इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि सराह में एक दिन खूब विकास अधिकारियों को उनके विकासखण्ड की प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें। जल निगम / एनसीसीसी ब्लॉक इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि समस्त ग्राम प्रभारों से नियमित संपर्क स्थापित करते हुए कार्यों में प्रगति लाएं।

- समीक्षा बैठक में टीसीसीआई द्वारा अवगत कराया गया कि सभी योजनात्मक किए गए गृह जल संयोजनों में बाकी मात्रा में एनसीसीसीसी पाइप जो ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जहाँआई पाइप नहीं लगाया गया है। कुछ स्थानों पर गुनितवा क्रॉसिंग बिना क्रॉसिंग पाइप के कर दी गयी है। साथ ही कुछ स्थानों पर नालों के ऊपर से ही पाइप निकालकर गृह जल संयोजन अधिकाधिक किए गए हैं। इस सन्दर्भ में फर्म के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिए गए कि सही ढंग से गृह जल संयोजन करते हुए नियमित जलपूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

- बैठक में उपस्थित डीसीपी, डीसीपीएमएच को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति को क्रियाशील किया जाये तथा उनके पानी के दुरुपयोग रोकने, छल्ले पानी से होने वाली क्षीमरिया के प्रति जन मानस को जागरूक किया जाय। साथ ही पूर्ण हुई योजनाओं पर जलकर वसूली के लिए आईएससीआई के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना जाय।

- समीक्षा बैठक में डीसीपी, डीसीपीएमएच को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं पूर्ण कर ली गयी हैं उनमें आईएससीआई संस्थाओं के माध्यम से जलकर वसूली कराना सुनिश्चित करें।

(अन्वय-वीन)
मुख्य डिप्टी असिस्टेंट
संयोजक।

पुनः एवं दिनक उपरीक्षणानुसार।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ -

1. विस्तारविधायी मशीन, लखनऊ।
2. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उदयग जल निगम (प्रभार), लखनऊ।
4. भी एनसीसीसीसी, लखनऊ।
5. टीसीआईआई, भी सैन्सिटिव टैक लि, लखनऊ।
6. डीसीपी, डीसीपीएमएच, लखनऊ।
7. समस्त आईएससीआई, लखनऊ।

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।